मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर भोपाल, दिनांक : 12/06/2020

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय म.प्र.
भोपाल

विषयः–मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः–उद्योग संचालनालय म.प्र. का पत्र क्रमांक 36/विसहा/(2)/2017/421,दिनांक 09.06.2020

राज्य शासन द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर, दिनांक 23.10.2019 से जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की प्रभावशील अवधि में गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाली इकाईयों को सहायता के संबंध में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की कंडिका क्रमांक 12.3 के अंतर्गत निम्न अनुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

क्रमांक	मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की कंडिका	स्पष्टीकरण
1	कंडिका 7.2.4 हालांकि, ऐसी एमएसएमई, जिन्होंने इस नीति की प्रारम्भ तिथि से पहले उत्पादन शुरू किया है, लेकिन इस नीति की प्रभावशील अवधि में गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करती है, वे भी इस नीति के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।	जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2019 की प्रारम्भ तिथि (01 अक्टूबर, 2019) से पहले उत्पादन शुरू किया है, लेकिन नीति की प्रभावशील अवधि में एमएसएमई विकास नीति, 2019 की कंडिका 7.2.1, 7.2.2 एवं 7.2.3 में उल्लेखित जो भी गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करेगी, वे उस गुणवत्ता प्रमाणन हेतु संबंधित कंडिका अनुसार सहायता हेतु प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

.....2

ccip letter

क्रमांक एफ 05–21/2019/अ–तेहत्तर

प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक : 12/06/2020

सहायक संचालक उद्योग,(सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष) उद्योग संचालनालय म.प्र., विभागीय वेव–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

ccip letter